

FORM OF ORDER SHEET

IN THE COURT OF THE DIVISIONAL COMMISSIONER, PURNEA.

Jamabandi Cancellation Revision Case No.- 13 /2026-27

Suresh Patel & Ors. Petitioner.

Versus

The State of Bihar & Anr. Opposite Parties.

Serial No.	Date of order of proceeding.	Order with signature of the court.	Office action taken with date
1	2	3	4
	05.09.2026	यह जमाबंदी रद्दीकरण पुनरीक्षण वाद न्यायालय समाहर्ता, कटिहार के जमाबंदी रद्दीकरण अपील वाद संख्या-407/2023-24 में दिनांक-11.06.2026 को पारित आदेश के विरुद्ध दायर किया गया है। सुनवाई में आवेदक अनुपस्थित। वाद पत्र तथा निम्न न्यायालय आदेश का अवलोकन किया। निम्न न्यायालय के आदेश के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि - 1. प्रतिवादी पक्ष के पूर्वजों के नाम नामांतरण आदेश पारित हुआ तथा उसके आधार पर जमाबंदी कायम हुई। 2. वादी ने उस मूल नामांतरण आदेश को सक्षम राजस्व न्यायालय में चुनौती नहीं दी है इसलिए प्रतिवादी के पूर्वज के नाम से कायम जमाबंदी मात्र अनुमान, आशंका अथवा परोक्ष दावे के आधार पर अवैध नहीं ठहराया जा सकता। 3. वादी द्वारा निम्न न्यायालय में कोई वैधानिक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे सिद्ध हो कि प्रतिवादी का जमाबंदी विधि विरुद्ध प्रक्रिया से कायम हुई थी। आवेदक द्वारा इस न्यायालय में भी अपने दावे के समर्थन में कोई साक्ष्य/कागजात उपस्थापित नहीं किया गया है। अतः इस वाद को In limine खारिज किया जाता है। लेखापित एवं संशोधित आयुक्त, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया। आयुक्त, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया।	

